(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप–खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 81 /2023
दिनांकः 22 मार्च, 2024

विषयः प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति के संबंध में दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना सं. 49 में निम्नानुसार संशोधन करती है :

प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	संशोधित निर्यात नीति
0703 10 19	कि.ग्रा.	प्याजः	दिनांक 31.03.2024 तक निषिद्ध	अगले आदेशों तक निषिद्ध

2. दिनांक 07.12.2023 की अधिसूचना सं. 49 के पैरा–3 के तहत प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक वैध एचएस कोड 0703 10 19 के तहत प्याज के निर्यात पर निर्यात निषेध को अगले आदेशों तक बढ़ाया जाता है।

संतोष कुमार सारंगी 22.03.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/171/50/विविध/एएम21/ई–26586 से जारी)